



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2445]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 27, 2019/श्रावण 5, 1941

No. 2445]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27, 2019/SHRAVANA 5, 1941

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 27 जुलाई, 2019

का.आ. 2685 (अ).—परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) भारत की जनता के कल्याण और अन्य शांतिपूर्ण प्रयोजनों तथा उससे संबद्ध विषयों हेतु परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग के लिए उपबंध करता है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार या तो स्वयं या उसके द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या निगम के माध्यम से या किसी सरकारी कंपनी के माध्यम से, किन्हीं विहित पदार्थों या रेडियोधर्मी पदार्थों और ऐसी अन्य वस्तुओं का, जो उसकी राय में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, विकास या उसके उपयोग के लिए या उसके संबंध में अपेक्षित हैं या उनकी अपेक्षा किए जाने की संभावना है या जो यथा उपरोक्त किसी अनुसंधान के लिए अपेक्षित हैं, विनिर्माण या अन्यथा उत्पादन या विक्रय या अन्यथा अर्जन करने और इस प्रकार विनिर्मित या अन्यथा उत्पादित ऐसे विहित या रेडियोधर्मी पदार्थों या ऐसी वस्तुओं का व्ययन करने के लिए सशक्त है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 14 केंद्रीय सरकार को परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त करती है और ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने परमाणु ऊर्जा (खानों का कार्यकरण, खनिज और विहित पदार्थों का हथालन) नियम, 1984 को अधिसूचित किया है, जो यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अयस्क, खनिज या अन्य सामग्री, जिससे एक या अधिक विहित पदार्थों का निष्कर्षण किया जा सकता है, का खनन, पिसाई, प्रसंस्करण या हथालन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा ;

और, बीच रेत खनिज, जो सात आर्थिक रूप से भारी खनिजों, अर्थात् इल्मेनाइट, ल्यूकोजीन, रुटाइल, जिरकॉन, मोनाजाइट, गार्नेट और सिल्लीमानाइट, जो समुद्र तटीय और अंतरदेशीय स्थानों में रेत के साथ सह-अस्तित्व रखते हैं, के समूहों को उपदर्शित करते हैं, जिनका सृजन भीतरी प्रदेश चट्टानों के अपक्षय और कटाव तथा सरिताओं, नदिकाओं, नदियों और ऐसे अन्य जलीय अस्तित्वों द्वारा अवतारण के स्थल, जो अपतटीय मैदान हैं, तक मुक्त किए जाने और परिवहन द्वारा होता है और ये खनिज, अपतटीय क्षेत्रों में लहरों द्वारा निरंतर ओसाई के कारण बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं ;

और, नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ, मोनाजाइट और जिरकॉन की, सामरिक रक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उपयोग की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि जिरकॉन में एक महत्वपूर्ण सामरिक तत्व हाफिनियम अंतर्विष्ट होता है, जिसका परमाणु ऊर्जा में

महत्वपूर्ण उपयोग है। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम और रेयर अर्थ्स का एक खनिज है। भारतीय मोनाजाइट में रेयर अर्थ्स तत्व नियोडाइमियम का उच्च प्रतिशत विद्यमान है, जिसके अनेक उच्च प्रौद्योगिकी उपयोग हैं;

और, जिरकोनियम, हाफ्नियम और थोरियम ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक तत्व हैं, जिनका उपयोग भारतीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम के विभिन्न प्रक्रमों पर होता है और चूंकि मोनाजाइट और जिरकान बीच बालू खनिजों में विद्यमान होते हैं, इसलिए खनिजों के हथालन या प्रसंस्करण के किसी भी प्रक्रम पर इन खनिजों की कोई हानि या चोरी बृहद् राष्ट्रीय हित को प्रभावित करेगी;

और, केन्द्रीय सरकार के खान मंत्रालय ने अधिसूचना सं० का.आ.2356(अ), तारीख 11 जुलाई, 2016 की अधिसूचना द्वारा परमाणु खनिजों, अर्थात् टेरी या बीच रेत में पाए जाने वाले आर्थिक रूप से भारी खनिजों, जिनमें इल्मेनाइट, ल्यूकोजीन, रुटाइल, जिरकॉन, मोनाजाइट, गार्नेट और सिल्लीमानाइट सम्मिलित हैं, को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में बीच रेत खनिजों के रूप में सूचीबद्ध किया था;

और, उक्त खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 11ख के अधीन बनाया गया परमाणु खनिज (रियायत) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), परमाणु खनिजों के अवसीमा मूल्य के लिए उपबंध करता है और उक्त नियमों के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ड) के अनुसार "अवसीमा मूल्य" से अयस्क में अंतर्विष्ट विहित पदार्थों के भार के प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट परमाणु खनिज का ऐसा ग्रेड अभिप्रेत है, जिसे अनुसूची क में उसी रूप में उत्पन्न होने वाले या एक या अधिक खनिजों के सहवृद्ध के रूप में उत्पन्न होने वाले किसी विशिष्ट परमाणु खनिज के अवसीमा मूल्य के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

और, परमाणु खनिजों के अवसीमा मूल्यों को केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा देश में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर निर्धारित किया गया था और उन्हें उक्त नियमों की अनुसूची क में अधिसूचित किया गया था और बीच रेत खनिज के संबंध में, अवसीमा मूल्य को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मोनाजाइट की अधिक मात्रा रखने वाले अवतरण परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन रहते हैं, सकल भारी खनिजों में मोनाजाइट अंतर्वस्तु को 0.75% के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था ; और, तदनुसार, सभी बीच रेत खनिज अवतरणों को, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् एएमडी कहा गया है) द्वारा की गई ब्यौरेवार खोज संबंधी डाटा के आधार पर अवसीमा मूल्यों से उच्च या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया गया था ;

और, ऐसे अवतरणों पर, जो अवसीमा मूल्य से उच्च मूल्य रखते हैं, नियंत्रण पूर्णतः परमाणु ऊर्जा विभाग में निहित है और खनिज परिरक्षण विकास नियम, 2017 निदेशक, एएमडी को, अवसीमा मूल्य से अधिक के परमाणु खनिजों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अभिहित करता है;

और, सामरिक तत्वों, अर्थात् रेयर अर्थ्स (उच्च प्रौद्योगिकी तत्व, जिनका उपयोग रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में किया जाता है या किए जाने की संभावना है) थोरियम, जिरकोनियम और हाफ्नियम (जिनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है या किए जाने की संभावना है), जो बीच रेत खनिज में पाए जाते हैं, का संरक्षण और परिरक्षण करने के विचार से और सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. सा.का.नि. 134(अ), तारीख 20 फरवरी, 2019 द्वारा बीच रेत खनिज में कुल भारी खनिजों में मोनाजाइट अंतर्वस्तु के अवसीमा मूल्य को 0.75% से पुनरीक्षित करके 0.00% किया है।

और भारत के राज्य क्षेत्रीय जल, मग्न तट, विशिष्ट आर्थिक जोन और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन का उपबंध करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने अपतट क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया है जो अपतट क्षेत्रों जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा विहित कोई खनिज सम्मिलित है सिवाय खनिज तेल और उससे संबंधित हाइड्रोकार्बन हैं, सभी खनिजों को लागू होता है।

और अपतट क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 तथा तद्वीन बनाए गए नियम अर्थात् अपतट क्षेत्र खनिज छूट नियम 2006, 15 जनवरी, 2010 को प्रभावी हुआ है; और उक्त 2002 अधिनियम की धारा 4 का खंड (ख) "परमाणु खनिज" को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट परमाणु खनिजों में सम्मिलित करता है;

और भारतीय खान ब्यूरो जो खान मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ मंत्रालय है, में अधिसूचना सं. का.आ. 1341(अ), तारीख 7 जून, 2010 द्वारा बासठ खनिज जो अपतटीय खंडों में हैं को अन्वेषण अनुज्ञप्ति के लिए अधिसूचित किया है तथा वे अपतट खंड भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए प्रादेशिक अन्वेषण की रिपोर्ट के आधार पर अंकित किए गए हैं।

और अन्वेषण के लिए उक्त बासठ अपतट खंडों को एएमडी द्वारा मिलाया गया है तथा उन अपतट खंडों को एएमडी द्वारा अन्वेषित तट बालू खनिज खंडों के साथ प्लॉट किया गया है; मानचित्र का परीक्षण उपदर्शित करता है कि अपतट खंड अपतट तट बालू खनिज

अवतरण के साथ उदभूत होते हैं, जो उन्हें एक मग्न खंड बनाता है, जिनका समुद्र तटीय तट बालू खनिज का समुद्र की ओर अवतरण है। उक्त खंडों की बाबत भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान से प्राप्त खनिजीय डाटा दर्शित करता है कि इन खंडों में सामरिक परमाणु खनिजों और विहित पदार्थ जैसे जिरकॉन और मोनाजाइट काफी मात्रा में अंतर्विष्ट हैं।

और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा एकत्रित अपतट डाटा विशेषकर किंतु देश के महत्वपूर्ण तट बालू खनिज अवतरण अर्थात् ब्रह्मगिरी, छतरपुर (ओडिशा); भावनापाडू, श्रीकुरमाम (आंध्र प्रदेश); मनवलाकुरुची (तमिल नाडु) और चावरा (केरल) उनमें 1.4 प्रतिशत से 4.18 प्रतिशत मोनाजाइट अंतर्वस्तु उपदर्शित करता है।

और अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 6 अपेक्षा करती है कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा से ब्यौहार करने वाले विभाग के साथ परामर्श किए बिना परमाणु खनिजों या विहित पदार्थों का कोई उत्पादन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाए।

और अपतट क्षेत्र खनिज छूट नियम, 2006 के नियम 18 के उपनियम (1) के खंड (iv) के उपखंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुमोदन के बिना कोई अन्वेषण अनुज्ञप्ति में किसी परमाणु खनिज को सम्मिलित नहीं किया जाएगा; और इसलिए उक्त खंड अपतट तट बालू खनिज अवतरण के साथ लगे हुए हैं और वह सामरिक परमाणु खनिजों और विहित पदार्थों जिसके अंतर्गत जिरकॉन और मोनाजाइट सम्मिलित हैं, की काफी मात्रा अंतर्विष्ट होने के लिए जाने जाते हैं, नीति के विषय के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग प्राइवेट पक्षकारों को उक्त अपतट खंडों में अन्वेषण और खनन के लिए पूर्व अनुमोदन अनुदत्त नहीं करेगा।

और अपतट क्षेत्रों में तट बालू खनिज अवतरण को उनकी सामरिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए यह अत्यावश्यक है कि अपतट क्षेत्रों में खनिज छूट को अपतट क्षेत्रों में उनके प्रति व्यवहार के अर्थ में समतुल्य किया जाए, राष्ट्र के सामरिक हित के सुरक्षोपायों के लिए वृहत् राष्ट्रीय हित में परमाणु खनिजों की किसी खोज परमिट, अन्वेषण अनुज्ञप्ति या खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग (ख) में यथा विनिर्दिष्ट परमाणु खनिजों का उत्पादन पट्टे को सिवाय सरकारी या किसी सरकारी कंपनी या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी निगम के प्रचालन अधिकार अनुदत्त करने का प्रतिषेध करना समीचीन है।

अतः इसलिए केंद्रीय सरकार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 3 और धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के किसी अपतट क्षेत्र में परमाणु खनिजों, जिनके अंतर्गत उक्त 62 ब्लाक हैं, के संबंध में किसी व्यक्ति, सिवाय सरकार या सरकारी कंपनी या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी निगम को, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 के अधीन प्रचालन अधिकारों को अनुदत्त किया जाना संपूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध करती है; और घोषणा करती है कि अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व इस निमित्त की गई कोई कार्रवाई विखंडित हो जाएगी।

[फा.सं. 3/10(8)/2019-पीएसयू/ खंड II]

ए.आर.सुले, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th July, 2019

S.O.2685 (E).—WHEREAS the Atomic Energy Act, 1962 (hereinafter referred to as the said Act) provides for the development, control and use of Atomic Energy for the welfare of the people of India and for other peaceful purposes and for matters connected therewith;

AND WHEREAS under section 3 of the said Act, the Central Government is empowered, either by itself, or through any authority or corporation established by it or a Government Company, to manufacture or otherwise produce, or to buy or otherwise acquire, any prescribed substance or radioactive substance and any articles which in its opinion are, or are likely to be, required for or in connection with, the production, development or use of atomic energy or such research as aforesaid and to dispose of such prescribed or radioactive substances or any articles manufactured or otherwise produced;

AND WHEREAS section 14 of the said Act empowers the Central Government to exercise control over the production and use of atomic energy and in exercise of such power, the Central Government has notified the Atomic Energy (Working of Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substances) Rules, 1984, which provides that no person shall mine, mill, process or handle any ore, mineral or other material from which any one or more of the prescribed substances can be extracted, without obtaining a licence;

AND WHEREAS the Beach Sand Minerals which represent a suite of seven economic heavy minerals, namely, ilmenite, leucoxene, rutile, zircon, monazite, garnet and sillimanite, which co-exist with sand in the coastal and inland placers, are formed by weathering and erosion of hinterland rocks, liberation and transportation by the streams, rivulets,

rivers, and such other water bodies, to the sites of deposition, being coastal plains, and these minerals get concentrated along the coastal areas due to constant winnowing by wave action;

AND WHEREAS with the development of latest technologies, monazite and zircon have potential applications in strategic, defence and hi-tech sectors, as zircon contains an important strategic element called hafnium which has an important application in Atomic Energy; monazite is a mineral of thorium, uranium and rare earths; Indian monazite has a high percentage of rare earth element called neodymium which has several hi-tech applications;

AND WHEREAS zirconium, hafnium and thorium are very important strategic elements used in different stages of Indian Nuclear Power Programme, and since monazite and zircon occur in Beach Sand Minerals, any loss or pilferage of these minerals at any stage of mineral handling or processing shall affect the larger national interest;

AND WHEREAS the Central Government in the Ministry of Mines has, *vide* notification number S.O. 2356(E), dated the 11th July, 2016, listed Beach Sand Minerals, that is, economic heavy minerals found in the teri or beach sands, which include ilmenite, rutile, leucoxene, garnet, monazite, zircon and sillimanite, as atomic minerals in Part B of the First Schedule to the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

AND WHEREAS the Atomic Minerals Concession Rules, 2016 made under section 11B of the said Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 provides for threshold value for atomic minerals and under clause (m) of sub-rule (1) of rule 2 thereof, "threshold value" means the grade of atomic mineral, specified as percentage of weight of the prescribed substances contained in the ore, as specified in Schedule A as the threshold value for the particular atomic mineral occurring as such or in association with one or more minerals;

AND WHEREAS the threshold values for atomic minerals were arrived at on the basis of scientific studies carried out by the Central Government (Department of Atomic Energy) in various geological environments in the country and were notified in Schedule A of the said rules and the threshold value of Beach Sand Minerals was specified as 0.75% of monazite content in total heavy minerals, so that monazite-rich deposits remain under the control of the Central Government; accordingly, all Beach Sand Mineral deposits were categorized as above or below the threshold values based on the detailed exploration carried out by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (hereinafter referred to as AMD);

AND WHEREAS the control over the deposits which are above the threshold value is completely vested with the Department of Atomic Energy and the Mineral Conservation Development Rules, 2017 designates the Director, AMD as the competent authority for atomic minerals above the threshold values;

AND WHEREAS with a view to protect and conserve the critical elements, viz., Rare Earths (high technology elements used in or having the potential of being used in Defence, Space and Atomic Energy), thorium, zirconium and hafnium (used in or having the potential of being used in Nuclear Reactors) which occur in Beach Sand Minerals and for meeting the strategic needs, the Central Government has revised the threshold value of monazite content in Total Heavy Minerals in Beach Sand Minerals from 0.75% to 0.00% *vide* notification number G.S.R.134(E), dated the 20th February, 2019;

AND WHEREAS with the object of providing for the development and regulation of mineral resources in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zones and other maritime zones of India, the Central Government has enacted the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 which is applicable to all minerals in the offshore areas including any mineral prescribed by a notification issued under clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the Atomic Energy Act, 1962, except mineral oils and hydrocarbons relating thereto;

AND WHEREAS the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 and the rules made thereunder, namely, the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006 have come into effect on the 15th January, 2010; clause (b) of section 4 of the said 2002 Act defines "atomic minerals" as the minerals included in atomic minerals specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957(67 of 1957);

AND WHEREAS the Indian Bureau of Mines which is a subordinate office under the Ministry of Mines has, *vide* notification number S.O.1341(E), dated the 7th June, 2010, notified sixty-two mineral bearing offshore blocks for grant of Exploration License and these offshore blocks have been delineated on the basis of the report of the Regional Exploration carried out by the Geological Survey of India and the National Institute of Oceanography;

AND WHEREAS the details of said sixty-two offshore blocks for exploration have been collated by AMD and they have been plotted along the coast line together with AMD's explored Beach Sand Mineral blocks; an examination of the map indicates that the offshore blocks occur in continuity with onshore Beach Sand Mineral deposits, making them contiguous blocks, which are seaward extensions of the coastal Beach Sand Mineral deposits; the mineralogical data in respect of said blocks received from the Geological Survey of India and the National Institute of Oceanography show that those blocks contain appreciable concentration of strategic atomic minerals and prescribed substances such as zircon and monazite;

AND WHEREAS the offshore data collected by the Geological Survey of India and the National Institute of Oceanography, especially but not limited to, the important Beach Sand Mineral deposits of the country, namely, Brahmagiri, Chatrapur (Odisha), Bhavanapadu, Srikurmam (Andhra Pradesh), Manavalakurichi (Tamil Nadu) and Chavara (Kerala) indicate monazite content of the order of 1.4% to 4.18 % in Total Heavy Minerals;

AND WHEREAS section 6 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 contemplates that no production lease for atomic minerals or prescribed substances be granted without consultation with the Department of the Government of India dealing with the Atomic Energy;

AND WHEREAS sub-clause (b) of clause (iv) of sub-rule (1) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006 contemplates that no atomic mineral shall be included in the Exploration Licence without approval of the Department of Atomic Energy; and therefore, as the said blocks are in continuity of onshore Beach Sand Mineral deposits and are known to contain appreciable concentration of strategic atomic minerals and prescribed substances, including zircon and monazite, as a matter of policy, the Department of Atomic Energy shall not be granting prior approval to private parties for exploration and mining in said offshore blocks;

AND WHEREAS in view of the foregoing paragraphs regarding continuity of Beach Sand Mineral deposits in offshore areas and their strategic importance, it is imperative that the mineral concessions in offshore areas be brought at par with the onshore areas in their treatment and therefore, in order to safeguard the strategic interest of the nation, it is expedient in larger national interest to prohibit the grant of operating rights in terms of any reconnaissance permit, exploration license or production lease of atomic minerals as defined in Part B of the First Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 in any offshore areas to any person, except the Government or a Government Company or a Corporation owned or controlled by the Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred under sections 3 and 14 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), the Central Government hereby prohibits grant of operating rights in respect of atomic minerals in any offshore areas in the country, including said sixty-two blocks, to any person, except the Government or a Government Company or a Corporation owned or controlled by the Government, under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002; and declares that any action taken in this behalf by the Central Government under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 prior to the date of this notification shall stand rescinded.

[F. No. 3/10(8)/2019-PSU/Vol. II]

A.R. SULE, Jt. Secy.